11.05.2018

पत्रावली बमुकाम अटल सेवा केन्द्र कवास पर पेश हुई। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण अनुपस्थित। प्रार्थी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (ए) की उपधारा–1 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर सुखाचार हेतु ग्राम राउजी की ढाणी में स्थित खसरा नम्बर 374/263 रकबा 51.14 बीघा भूमि जो खातेदार रामचन्द्र पुत्र भेराराम की खातेदारी में अंकित है में से 20 फीट का रास्ता प्रार्थी के आवागमन हेतु कायम किये जाने का निवेदन किया।

आवेदन पत्र पंजीयन कर अप्रार्थीगण को सुनवाई हेतु सम्मन जारी किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 ने अपने जवाब में अंकित किया है कि प्रार्थी के आवागमन हेतु खसरा नम्बर 261 में से पगडंडी गुजरती है, जो बाटाडू जाने वाली सम्पर्क सड़क से जुड़ती है और प्रार्थी का इसी पगडंडी पर आवा–गमन रहता है। प्रार्थी की रास्ते हेतु आवेदित भूमि में से प्रार्थी का कोई आवागमन नही होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन निरस्त योग्य है।

दोनों पक्षों को सुने जाने के बाद इस न्यायालय द्वारा दिनांक 09.10.2015 को तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तावित भूमि को प्रार्थी के सुखाचार हेतु रास्ता कायम किये जाने का आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध अप्रार्थी रामचन्द्र पुत्र भेराराम द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी बाडमेर के न्यायालय में अपील संख्या 103/2015 अनवान रामचन्द्र बनाम भानाराम प्रस्तुत की गई। उक्त अपील में पारित निर्णय दिनांक 01.02.2017 से प्रकरण इस निर्देश के साथ पुनः प्रेषित किया गया कि रास्ते हेतु आवेदित भूमि का तहसीलदार बाडमेर स्वयं मौका निरीक्षण कर प्रतिवेदन तैयार कर

उप खण्ड अधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **राजस्व आवदेन संख्या 1363/2015 अनवान भानाराम बनाम रामचन्द्र**

अप्रार्थी की ढाणी को छोड़ते हुए रास्ते हेतु पुनः प्रस्ताव प्रस्तुत करें। उक्त निर्णय की पालना में तहसीलदार बाडमेर ने प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए अंकित किया है कि खसरा नम्बर 324/263 ग्राम राउजी की ढाणी में से 0.09 बीघा भूमि राज्य सरकार के नाम राजस्व अभिलेख में अंकित हुई। उक्त खसरा का नवीन खसरा संख्या 464/263 अंकित हुआ जो राजस्व अभिलेख में एवं लठ्ठा ट्रेस में गैर मुमकीन रास्ता के रूप में अंकित हुआ है। मौके पर जांच करने पर उक्त सार्वजनिक रास्ता बन्द पाया गया। उक्त भूमि पर अप्रार्थी द्वारा अतिक्रमण की कर एक पट्टीयों का कमरा बना कर उपर चदर लगा रखी है। उक्त गैर मुमकीन रास्ता पर किया गया कब्जा हटाकर रास्ता खुलवाया जा सकता है। मौके पर उक्त रास्ते को लेकर विवाद है। ऐसी स्थिति में पुलिस इमदाद से उक्त रास्ता खुलवाये जाने हेतु अनुशंषा की है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी ने न्यायालय द्वारा घोषित रास्ते को अवरूद्ध किया है जिसे खुलवाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 09.10.2015 के अनुसार ग्राम राउजी की ढाणी के नवीन खसरा 464/263 जो रास्ते हेतु घोषित की गई है, को तहसीलदार बाडमेर के प्रतिवेदनानुसार अप्रार्थी रामचन्द्र द्वारा उक्त रास्ते पर किया गया अतिक्रमण को हटाये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार बाडमेर मौके पर उक्त अतिक्रमण तत्काल हटाकर सार्वजनिक रास्ते को खुलवाकर पालना प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। आदेश मजमे आम में सुनाया गया। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी,
बाडमेर

1251
27/5/18

Scanned by CamScanner